न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 61/2017
उनवान

1. जमना देवी पुत्री भौरीया उर्फ भंवरलाल पत्नि मंगलचन्द वर्मा जाति बलाई निवासी मुरलीपुरा ग्राम धानोत तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सुशीला पत्नि स्व0 किशनलाल
2. चेतन पुत्र स्व0 किशनलाल
3. अंशु पुत्र स्व0 किशनलाल
4. केशव उर्फ किट्टू पुत्र स्व0 किशनलाल
5. बिदामी पत्नि स्व0 सुवालाल
6. हंसा पुत्री स्व0 सुवालाल पत्नि मोहन उर्फ कालू
7. साधूराम पुत्र स्व 0 काना
8. पूरणमल पुत्र स्व0 काना
9. प्रेम उर्फ रामप्यारी पत्नि स्व0 छीतर
10. सीतादेवी पुत्री स्व0 काना पत्नि स्व0 पूरणमल बलाई निवासीस आनन्द पर्वत 13 नं0 गली नई दिल्ली
11. भरता पुत्र स्व0 भूरा जाति बलाई निवासी वार्ड नं0 22 जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
12. प्रेमदेवी पुत्र स्व0 भूरा पत्नि साधूराम जाति बलाई निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
13. माया देवी पत्नि फूलचन्द धौरेटा, जाति बलाई निवासी बिशनगढ हाल निवासी मोतीनगर नई दिल्ली
14. उप पंजीयक तहसील परिसर शाहपुरा
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

16. यशोदा देवी पुत्री भौरीया उर्फ भंवरलाल पत्नि प्रकाश गोठवाल जाति बलाई निवासी उदावाला

तरतीबी प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सहपठित धारा 151 सीपीसी व आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री आर एस अग्रवाल वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री सुनील शुक्ला वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक 26.3.2021

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण भरतमल आदि की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 9 नियम –5 सपठित धारा 0151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल के द्वारा दिनांक 27.10.2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीया/वादिया की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 8, 10, 12 एवं 13 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये है तथा प्रतिवादीया सं0 13 के फौत होने के पश्चात उसके विरूद्व दावा प्रस्तुत किया है, जिससे दावा अबैट होने के कारण चलने योग्य नहीं है अतः दावा खारिज फरमाया जावे ।

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बिदामी वगैरा की ओर से दिनांक 20.11.20 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत उक्त वाद में जरिये अपने अधिवक्ता इस आशय का पेश किया गया कि प्रस्तुत वाद में प्रबितवादी सं0 5 लगा0 15 के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न होने का उल्लेख नहीं किया गया है तथा दावा विधि से वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है। अतः वादिया का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादी सं0 5, 6, 9, 11, 12 की ओर से जवाब दावा दिनांक 20.11.2020 को ही प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए वादिया का वादपत्र सव्यय खारिज किये जाने की इस्तदुआ की ।

अप्रार्थीया/वादिया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सहपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी के जरिये अपने अधिवक्ता के दिनांक 11.2.2020 को प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं0 8,10,12 आदि की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन तलबाना पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रतिवादी सं0 13 की मृत्यु की सूचना अधिवक्ता महोदय द्वारा दी गई है, जिसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है केवल इस बिन्दु पर दावा अवैट किया जाता है तो वादिया को अकथनीय हानी होगी । दावा के जिमन नं0 5 में वाद कारण उत्पन्न होने का उल्लेख है तथा दावा विधि से वर्जित नहीं होने से चलने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे ।

उभय प्रार्थना पत्र पेश होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्रो में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का दावा खारिज किये जाने की गुजारिश की। इसका खण्डन करते हुए योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी/वादिया ने अपने जवाब प्रार्थना पत्रो में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की । हमने उभय पक्षें की बहस पर गोर किया तथा प्रकरण के तथ्यों व कानूनी प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन कर मनन किया ।

पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि वादिया की ओर से प्रतिवादी सं0 8, 10, 12 की रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल कराकर रसीद पेश करने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिनांक 1.2.2021 को प्रदत्त किये गये है, किन्तु प्रतिवादी सं0 13 की मृत्यु की जानकारी होने पर वादिया व उसके योग्य अधिवक्ता मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये नीयत समयावधि मे विधि प्रावधानो आदेश 1 नियम 10 या आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत कोई प्रार्थना पत्र आदिनाक पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण वादिया का दावा मृत पक्षकार के विरूद्व प्रस्तुत करने से अवैट होने से पोषनीय नहीं है।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:-

(क). जहाँ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया। (ग). जहाँ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है। (घ). जहाँ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ड). जहाँ यह 02 प्रतिगों में फाईल नहीं किया है। (च). जहाँ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण मे हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु (क) (घ) एवं (च) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र के जिमन नं0 5 मे प्रतिवादी संख्या 1 की धमकी के फलस्वरूप वादिया को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है। शेष प्रतिवादीगण संख्या 5 लगा0 15 के विरूद्व वाद में विनाय दावा पैदा होने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही साबित होते है।

वादिया की ओर से मूल रूप से यह वाद पत्र अपनी पैतृक भूमि मे अपने हिस्से-नुसार खातेदारी की भूमि प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया है तथा अपने वाद पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है उसके पिता की मृत्यु दिनांक 25.3.1991 के पश्चात् वादिया के भाई स्व0 किशनलाल ने विरासत का नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 29.1.1992 को अकेले अपने नाम स्वीकार करवा लिया तथा अपने उक्त हिस्से में से 3/4 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 13 को बेचान कर दी। इससे स्पष्ट विदित होता है कि अप्रार्थीया/वादिया ने उसके पिता की मृत्यु के पश्चात गलत रूप से स्वीकार किये गये विरासत के नामान्तकरण संख्या 57 यदिनांक 29.1.1992 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का प्रथम सुलभ उपधार मौजूद रहते हुए भी उक्त विरासत के नामान्तकरण को निरस्त करवाने की विधिक कार्यवाही नहीं करके उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।हस्तगत प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि विरासत के नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 29.1.1992 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादिया का भाई मरहूम किशनलाल के नाम आराजी मुतवादिया की खातेदारी दर्ज होने पर उसके द्वारा अपने 3/4 हिस्से

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 13 को बेचान कर दी ओर उक्त विकय पत्र के आधार र केता के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी भी अंकित हो गई। ऐसी स्थिति में जब तक तिवादी संख्या 13 के पक्ष में किये गये बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करा लिया ाता तब तक अप्रार्थी/वादिया द्वारा प्रस्तुत उक्त हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित ोने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतःउपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 5 सहपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 ीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादिया का हस्तगत वादपत्र पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर ारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26-03-2021 को सरै इजलास सुनाया ाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

26/3/21

(सनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
जयपुर राजस्थान

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोह मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 61/2017

उनवान

जमना देवी पुत्री भौरीया उर्फ भंवरलाल पत्नि मंगलचन्द वर्मा जाति बलाई निवासी मुरलीपुरा ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

सुशीला पत्नि स्व0 किशनलाल
चेतन पुत्र स्व0 किशनलाल
अंशु पुत्र स्व0 किशनलाल
केशव उर्फ किट्टू पुत्र स्व0 किशनलाल
बिदामी पत्नि स्व0 सुवालाल
हंसा पुत्री स्व0 सुवालाल पत्नि मोहन उर्फ कालू
साधूराम पुत्र स्वं 0 काना
पूरणमल पुत्र स्व0 काना
प्रेम उर्फ रामप्यारी पत्नि स्वं0 छीतर
सीतादेवी पुत्री स्व0 काना पत्नि स्व0 पूरणमल बलाई निवासीस आनन्द पर्वत 13 नं0 गली नई दिल्ली
भरता पुत्र स्व0 भूरा जाति बलाई निवासी वार्ड नं0 22 जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
प्रेमदेवी पुत्र स्व0 भूरा पत्नि साधूराम जाति बलाई निवासी देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
माया देवी पत्नि फूलचन्द धौरेटा, जाति बलाई निवासी बिशनगढ हाल निवासी मोतीनगर नई दिल्ली
उप पंजीयक तहसील परिसर शाहपुरा
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

यशोदा देवी पुत्री भौरीया उर्फ भंवरलाल पत्नि प्रकाश गोठवाल जाति बलाई निवासी उदावाला

तरतीबी प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सहपठित धारा 151 सीपीसी व आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश दिनांक

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सहपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादिया का लगत वादपत्र पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा, खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

अंतिम डिक्री आज तारीख 26·3·2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्श के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
...... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तमिल			
जोड़		जोड़	